

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मेंदर सिंह उर्फ विजय सिंह

बनाम

बिहार राज्य

2023 की आपराधिक अपील (ए.न्या) संख्या 2307

25 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या मामले के अभिसाक्षी ने जानबूझकर और जानबूझकर अपीलकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त को दबाया है या नहीं?

हेडनोट्स

व्यवहार और प्रक्रिया—न्यायालय में झूठा या भ्रामक हलफनामा दाखिल करना—न्यायालय के साथ धोखाधड़ी—जमानत पाने के लिए, मामले के अभिसाक्षी ने जानबूझकर और जानबूझकर अपीलकर्ता के आपराधिक इतिहास को छिपाया।

अभिनिर्धारित: चूँकि सब कुछ अपीलकर्ता के लाभ के लिए किया जा रहा था, इसलिए अपीलकर्ता इस न्यायालय से अपने आपराधिक इतिहास को छिपाने के दायित्व से बच नहीं सकता, जो कि न्यायालय के साथ धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है—इस न्यायालय ने अभिसाक्षी द्वारा अपीलकर्ता के आपराधिक इतिहास को छिपाने का एक स्पष्ट मामला पाया है, जो अपीलकर्ता के लाभ के लिए किया जा रहा था, अभिसाक्षी और अपीलकर्ता पर झूठा हलफनामा देने और तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करने के लिए 1,00,000/- (एक लाख)

रुपये का जुर्माना लगाया जाता है—यह जुर्माना अभिसाक्षी द्वारा पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की तिजोरी में अदा किया जाएगा—अपील वापस ली गई मानते हुए खारिज की जाती है।

(पैराग्राफ 17, 20, 21)

न्याय दृष्टान्त

मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, आपराधिक प्रकीर्ण संख्या 61989/2022; किशोर समरीते बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2013) 2 एससीसी 398; दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2010) 2 एससीसी 114; साइमेड ओवरसीज इंक बनाम बीओसी इंडिया लिमिटेड एवं अन्य, (2016) 3 एससीसी 70—पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

व्यवहार और प्रक्रिया

मुख्य शब्दों की सूची

न्यायालय के साथ धोखाधड़ी, भौतिक तथ्यों को छिपाना, अभिसाक्षी और अपीलकर्ता पर लगाया गया जुर्माना, आपराधिक पूर्ववृत्त।

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक प्रकीर्ण संख्या 8947/2023 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2023 से, जो आपराधिक अपील (एसजे) संख्या 2445/2022 से उत्पन्न हुआ है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री वाई.सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; कुमारी अनुपम, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सदानंद पासवान,

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की आपराधिक अपील (ए.न्या) संख्या 2307

थाना कांड सं.-136 वर्ष-2016 थाना-बसंतपुर जिला-सिवान से उद्भूत

=====

मेंदर सिंह उर्फ विजय सिंह, पिता- श्री लल्लन सिंह, निवासी गाँव-बिटुना, थाना -बसंतपुर,
जिला-सिवान

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री वाई.सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

कुमारी अनुपम, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री सदानंद पासवान,

=====

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक आदेश

5 25-08-2023 इससे पहले, आपराधिक अपील (ए.न्या) संख्या 2445/2022 से उत्पन्न आपराधिक विविध संख्या 8947/2023 में पारित दिनांक 15.02.2023 के आदेश के तहत, महानिबंधक को मामले की जाँच करने और उस व्यक्ति(व्यक्तियों) की ज़िम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने इस न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की है जो यहाँ याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त को छिपाने के संबंध में है।

2. उपरोक्त आदेश दिनांक 15.02.2023 के अनुसार, विद्वान महानिबंधक द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में दिनांकित 02.08.2023 की एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसे खुले न्यायालय में पक्षों की उपस्थिति में खोला गया है।

3. जाँच रिपोर्ट के प्रासंगिक पैराग्राफ यहाँ उद्धृत किए गए हैं :

"ऊपर उल्लिखित तथ्यों और बयानों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार ने, श्री राजीव कुमार और श्री नरसिंह सिंह, द्वारा उन्हें दी गई जानकारी के आधार पर, क्रमशः आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 और आपराधिक विविध सं. 8947/2023 एमओडी (ए.न्या) दायर की है। दोनों पक्ष उपरोक्त मामलों में हलफनामा तैयार करने के समय पटना उच्च न्यायालय नहीं आए थे और दोनों ने विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार को उनके निवास, गांव शंकरपुर, जिला सिवान, में अलग-अलग अवसरों पर सभी दस्तावेज एक सादे कागज के साथ

अपने हस्ताक्षर के साथ इस माननीय उच्च न्यायालय में उपरोक्त मामले दायर करने के लिए दिए थे। श्री बिनोद कुमार सिन्हा, दोनों मामलों में अधिवक्ता लिपिक, जिन्होंने दोनों पक्षकारों, श्री राजीव कुमार और श्री नरसिंह सिंह की पहचान की थी, ने अपने कारण बताओ उत्तर और बयान में स्वीकार किया है कि दोनों पक्षकार आपराधिक अपील (ए.न्या) संख्या 2445/2022 और आपराधिक विविध सं. 8947/2023 संशोधन (ए.न्या) में हलफनामे तैयार करने के समय माननीय पटना उच्च न्यायालय में नहीं आए थे, और दोनों अभिसाक्षी के हस्ताक्षर वाली दोनों मामलों की पूर्व में तैयार याचिकाएँ उन्हें विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार द्वारा हलफनामा तैयार करने और दोनों मामलों को इस माननीय उच्च न्यायालय में दायर करने के लिए दी गई थीं।

श्री राजीव कुमार, अपीलकर्ता के बहनोई और आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 में प्रतिवादी, ने अपने कारण बताओ उत्तर में दलील दी है कि उन्होंने विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार को उनके निवास, ग्राम शंकरपुर, जिला-सिवान में अपने हस्ताक्षर वाले एक सादे कागज के साथ सभी दस्तावेज दिए थे, लेकिन विद्वान अधिवक्ता ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनके हस्ताक्षर वाले खाली कागज का उपयोग आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 में शपथ पत्र तैयार करने के उद्देश्य से किया जाएगा। उन्होंने यह भी दलील दी है कि विद्वान अधिवक्ता ने उनसे अपीलकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में नहीं पूछा और बिना पूछे ही, उन्होंने स्वयं उपरोक्त अपील में यह बयान दिया कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। प्रतिवादी श्री राजीव कुमार ने अपने कारण बताओ उत्तर में यह भी प्रस्तुत किया है कि विद्वान अधिवक्ता श्री

अशोक कुमार, आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 दायर करने से पहले, इस माननीय न्यायालय में अपीलकर्ता के परिवार के लिए पहले भी मुकदमा लड़ चुके हैं। आपराधिक अपील सं. 2445/2022 में अभिसाक्षी श्री राजीव कुमार ने अपने बयान में यह भी स्वीकार किया है कि वह इस मामले को छोड़कर अपीलकर्ता मेंडोर सिंह उर्फ विजय सिंह के खिलाफ दर्ज पांच से छह मामलों के बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन उन्होंने विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार को मामलों का खुलासा नहीं किया। आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 में अभिसाक्षी श्री राजीव कुमार ने यह भी बयान दिया है कि वह इंटरमीडिएट पास हैं और बनियापुर, जिला- सीवान में डाकिया (डाकिया) के पद पर कार्यरत हैं, इसके बावजूद उन्होंने सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर करके विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार को दे दिए; और विडंबना यह है कि उन्होंने यह दलील दी है कि उन्हें इस माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत/अपील दायर करने की तकनीकी जानकारी नहीं थी और विद्वान अधिवक्ता ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनके हस्ताक्षर वाले कोरे कागज का इस्तेमाल हलफनामा तैयार करने के लिए किया जाएगा। आपराधिक अपील (53) सं. 2445/2022 में अभिसाक्षी श्री राजीव कुमार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलील स्वीकार्य नहीं है।

उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि श्री राजीव कुमार, आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022, में अभिसाक्षी, अपने बहनोई (साला), अपीलकर्ता मेंडोर सिंह उर्फ विजय सिंह के सभी आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बावजूद, जानबूझकर इस तथ्य को माननीय न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया। इस प्रकार, यह प्रथम दृष्टया आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 में

अभिसाक्षी राजीव कुमार द्वारा अपने बहनोई मेंदर सिंह उर्फ विजय सिंह (अपीलकर्ता) को किसी भी तरह से इस माननीय से जमानत दिलाने के लिए तथ्यों को दबाने का मामला प्रतीत होता है, जो भारतीय दंड विधान के तहत दंडनीय है।

उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुँचकर, जाँच समाप्त हो गई है और इसकी रिपोर्ट आपके समक्ष अवलोकनार्थ और आवश्यक आदेश हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री योगेश चंद्र वर्मा ने दलील दी है कि इस मामले में शामिल अधिवक्ता के पास अपीलकर्ता के आपराधिक इतिहास से संबंधित तथ्य की पुष्टि करने का कोई अवसर नहीं है और उसे गलत निर्देश देकर धोखा दिया गया है। उन्होंने इस न्यायालय में याचिकाएँ दायर करने और हलफनामों पर शपथ लेने के संबंध में प्रचलित प्रथा का भी उल्लेख किया है, जिस तारीख तक यह अनिवार्य कर दिया गया है कि हलफनामों पर शपथ आयुक्त के समक्ष व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से शपथ ली जाए। हालाँकि, वह वर्तमान अपील वापस लेने का अनुरोध करते हैं।

5. रिकॉर्ड पर गौर किया।

6. विद्वान महानिबंधक की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि दोनों अभिसाक्षी उपरोक्त मामलों में शपथ पत्र तैयार करने के समय पटना उच्च न्यायालय नहीं आए थे और दोनों ने विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार को उनके निवास, गांव शंकरपुर, जिला सिवान में अलग-अलग अवसरों पर अपने हस्ताक्षर वाले एक सादे कागज के साथ सभी दस्तावेज इस न्यायालय में उपरोक्त मामले को दायर करने के लिए दिए थे। श्री बिनोद कुमार सिन्हा, दोनों मामलों में अधिवक्ता लिपिक , जिन्होंने दोनों पक्षकारों, श्री राजीव कुमार और श्री नरसिंह सिंह की

पहचान की थी, ने अपने कारण बताओ उत्तर और बयान में स्वीकार किया है कि दोनों पक्षकार आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 और आपराधिक विविध सं. 8947/2023 संशोधन (ए.न्या),में शपथ पत्र तैयार करने के समय पटना उच्च न्यायालय में नहीं आए थे और दोनों मामलों की पूर्व तैयार याचिकाएँ, जिन पर दोनों अभिसाक्षीगण के हस्ताक्षर हैं, उन्हें विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार द्वारा हलफनामा तैयार करने और दोनों मामलों को इस न्यायालय में दाखिल करने के लिए दी गई थीं।

7. जाँच रिपोर्ट के अंतिम कंडिकाओं के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री राजीव कुमार, आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 में अभिसाक्षी, अपने बहनोई (साला), अपीलकर्ता मेंदर सिंह उर्फ विजय सिंह के सभी आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बावजूद, जानबूझकर इस तथ्य को इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाए, जो कि आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 में अभिसाक्षी राजीव कुमार द्वारा अपने बहनोई मेंदर सिंह उर्फ विजय सिंह (अपीलकर्ता) को इस न्यायालय से किसी भी तरह से जमानत दिलाने के लिए तथ्यों को दबाने का मामला प्रतीत होता है।

8. हालाँकि, विद्वान महानिबंधक जनरल इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि अभिसाक्षी द्वारा सब कुछ अपीलकर्ता के लाभ के लिए किया गया था और आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 दायर करने से शुरू हुई घटनाओं से अपीलकर्ता और अन्य की मिलीभगत के बारे में अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है। यह अपीलकर्ता मेदान सिंह उर्फ विजय सिंह की अपील थी और अपील और संशोधन याचिका में की गई किसी भी प्रस्तुति को उनकी प्रस्तुति के रूप में माना जाएगा, न कि केवल 'पेरवीकर' की।

9. विद्वान महानिबंधक की रिपोर्ट से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार का आचरण निश्चित रूप से निंदनीय है। जिस तरह से उन्होंने आचरण किया, वह बहुत कुछ अपेक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस न्यायालय का एक अधिकारी होता है और इस तरह का व्यवहार और उसके कार्य के संचालन का तरीका कम से कम उससे अपेक्षित नहीं होता है। फिर भी, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री अशोक कुमार को संदेह का लाभ दिया जा सकता था कि शायद, उन्हें अपीलकर्ता के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं यह अवलोकन विद्वान महानिबंधक की रिपोर्ट के आलोक में कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि श्री अशोक कुमार, अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आप. अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 और आपराधिक विविध सं. 8947/2023 (संशोधन) में क्रमशः श्री राजीव कुमार और श्री नरसिंह सिंह, जो आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 और आपराधिक विविध सं. 947/2023 (मोड) में अभिसाक्षी हैं, द्वारा उन्हें दी गई जानकारी के आधार पर मामले दायर किए हैं।

10. इसके अलावा, विद्वान महानिबंधक अधिवक्ता शपथ आयुक्त, अर्थात् श्रीमती सुप्रिया रानी, पंजीकरण सं. बी.आर./1344/2019 के कार्य और आचरण के संबंध में कुछ भी देखने में विफल रहे हैं, जैसा कि उनके कारण बताओ उत्तर में कहा गया है कि आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 को उनके द्वारा शपथ सं. 1611 दिनांक 15.07.2022 के माध्यम से शपथ पत्र दिया गया था। उन्होंने गवाही दी है कि उन्होंने अधिवक्ता लिपिक श्री बी. के. सिन्हा से, पंजीकरण सं. 408/2021 पर अभिसाक्षी श्री राजीव कुमार को शपथ रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए सूचित करने को कहा और अधिवक्ता लिपिक श्री बी.के. सिन्हा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उसने अभिसाक्षी को शपथ रजिस्ट्रार पर अपने हस्ताक्षर करने के

लिए बुलाया है। उन्होंने उस पर भरोसा किया और उसके शब्दों पर, बिना तथ्यों और परिस्थितियों को जाने आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 की याचिका हलफनामा दायर कर दी। उसने गलती के लिए बिना शर्त माफी मांगी है और पूरा आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह का आचरण दोबारा नहीं होगा।

11. **मुकेश कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य (2022 की आपराधिक विविध सं. 61989)** के मामले में एक समन्वय पीठ ने इस तरह के आचरण की निंदा की है और समन्वय पीठ ने शपथ आयुक्त को उनके कार्य के संचालन के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, विद्वान शपथ आयुक्त की माफी स्वीकार कर ली जाती है और उन्हें भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है। यह उम्मीद की जाती है कि विद्वान शपथ आयुक्त समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।

12. इस न्यायालय ने इस मामले के कुछ प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिया है जो इस प्रकार हैं :

(i) अपीलकर्ता मेंदर सिंह उर्फ विजय सिंह को इस अदालत ने दिनांकित 08.12.2022 को 2022 की आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445 में पारित फैसले के माध्यम से जमानत दी थी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पक्षों की ओर से किए गए प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सूचना देने वाले के संदेह पर अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप है और गलत निहितार्थ की संभावना है और आगे कुछ शर्तों के अधीन उसके और उसके स्पष्ट पूर्ववृत्त के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर विचार किया जा रहा है। शर्तों में से एक यह थी कि अपीलकर्ता का जमानत बांड

इस दावे के सत्यापन के अधीन स्वीकार किया जाएगा कि उसकी कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

(ii) इसके बाद, याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता मेंदर सिंह उर्फ विजय सिंह ने 2022 के दिनांक 08.12.2022 में पारित आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445 के निर्णय में संशोधन के लिए आपराधिक विविध सं. 8947/2023 दायर की, इस आधार पर कि आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 की सुनवाई के समय, कुछ गलत सूचना के कारण अपीलकर्ता का आपराधिक पूर्ववृत्त रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका और उसने उपरोक्त शर्त से छूट की प्रार्थना की। इस न्यायालय ने दिनांक 15.02.2023 के आदेश द्वारा संशोधन याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अपीलकर्ता के पक्ष में जमानत आदेश प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से छिपाने का मामला प्रतीत होता है। अपीलकर्ता का कर्तव्य था कि वह अपने आपराधिक पूर्ववृत्त का उल्लेख करे, जिसे वह इस न्यायालय के संज्ञान में लाने में विफल रहा। यह न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने के समान है। इसलिए, महानिबंधक को मामले की जाँच करने और उचित जाँच के बाद उस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया गया, जिसने इस न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की है।

(iii) पूछताछ के दौरान, 11.05.2023 को, अपीलकर्ता मेंदर सिंह ने 2023 की तत्काल आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2307 अपीलकर्ता को जमानत देने के लिए दाखिल किया है।

13. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर चर्चा करना चाहेगा जिनमें न्याय चाहने वालों के आचरण पर चर्चा की गई जिसने न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की।

14. किशोर समरीते बनाम यू. पी. राज्य एवं अन्य (2013) 2 एससीसी 398 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 32 में प्रथा और प्रक्रिया, न्यायालय/कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग/न्यायालय के साथ धोखाधड़ी के संबंध में निर्णय दिया। न्यायालय में पहुँचते समय वादी के दायित्वों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और इस निर्णय में उल्लिखित प्रक्रिया के दुरुपयोग के परिणामों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा।

“32. अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग और इस तरह के संबद्ध मामलों के मामले अदालतों के समक्ष लगातार उठ रहे हैं। यह न्यायालय कई अवसरों पर इस तरह के मामलों से निपटा है और इसने स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को बताया है जो किसी भी शिकायत के निवारण और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग के परिणामों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते समय एक वादी के दायित्वों को नियंत्रित करेंगे। हम कुछ सिद्धांतों को दोहरा सकते हैं और बता सकते हैं। ऐसे सिद्धांतों को पूरी तरह से और इतनी सटीकता के साथ बताना मुश्किल है जो विभिन्न मामलों में समान रूप से लागू हो। ये हैं :

32.1. अदालतों ने सदियों से वादियों पर नाराजगी जताई है, जिन्होंने अदालतों को धोखा देने और गुमराह करने के इरादे से, तथ्यों का पूरा खुलासा किए बिना कार्यवाही शुरू की और अदालतों में "अशुद्ध हाथों" के साथ आए। अदालतों ने

माना है कि ऐसे वादी न तो मामले के गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के हकदार हैं और न ही किसी राहत के हकदार हैं।

32.2. एक तरफा बयान पर राहत के लिए अदालत का रुख करने वाले लोग अदालत के साथ एक अनुबंध के तहत हैं कि वे पूरे मामले को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से अदालत को बताएँगे और जहां वादी ने ऐसा विश्वास तोड़ा है, तो अदालत के विवेक का उपयोग ऐसे वादी के पक्ष में नहीं किया जा सकता है।

2.3. साफ हाथों से अदालत का दरवाजा खटखटाने का दायित्व एक पूर्ण दायित्व है और इस अदालत द्वारा बार-बार दोहराया गया है।

32.4. व्यक्तिगत लाभ के लिए पूछताछ इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग झूठ की शरण लेने और अदालती कार्यवाही में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और दबाने में संकोच नहीं करते हैं। भौतिकवाद, अवसरवाद और दुर्भावनापूर्ण इरादे ने छोटे-छोटे लाभों के लिए मुकदमेबाजी के पुराने मूल्यों को ढक दिया है।

32.5. एक वादी जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो दागी हाथों से न्याय के शुद्ध स्रोत को छूता है, वह किसी भी अंतरिम या अंतिम राहत का हकदार नहीं है।

32.6. अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने पर जोर देने में भी यह उचित होगा और गंभीर दुरुपयोग के मामलों में, अदालत भारी लागत लगाने के लिए कर्तव्यबद्ध होगी।

32.7. जहाँ कहीं भी जनहित का आह्वान किया जाता है, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए याचिका की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि इसमें वास्तविक जनहित शामिल है। न्याय की धारा को बेईमान वादियों द्वारा प्रदूषित नहीं होने दिया जाना चाहिए।

32.8. अदालत, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर कड़ी निगरानी रखनी होती है और आम तौर पर हस्तक्षेप करने वाले दर्शकों को "वीजा" नहीं दिया जाना चाहिए। कई सामाजिक प्रदूषक अनसुलझी शिकायतों की नई समस्याएं पैदा करते हैं और और न्यायालय को ऐसे मामलों को लेने का साहस करना चाहिए जहाँ न्याय उचित रूप से उचित ठहराता हो।

15. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दलीप सिंह बनाम यू. पी. राज्य एवं अन्य (2010) 2 एससीसी 114 में रिपोर्ट की गई के मामले में जिसमें बेईमान वादियों के नए पंथ के संबंध में प्रक्रिया के दुरुपयोग पर ध्यान देते हुए, इस प्रवृत्ति को देखा और कड़ी निंदा की और कंडिका 1 और 2 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"1. कई शताब्दियों तक भारतीय समाज ने जीवन के दो बुनियादी मूल्यों अर्थात् "सत्य" (सत्य) और "अहिंसा" (अहिंसा) को पोषित किया। महावीर, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी ने लोगों को अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को शामिल करने के लिए निर्देशित किया। सत्य न्याय-वितरण प्रणाली का एक अभिन्न अंग था जो स्वतंत्रता से पहले प्रचलन में था और लोग अदालतों में सत्य बोलने पर गर्व महसूस करते थे, चाहे परिणाम कुछ भी हों। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद की अवधि में हमारी मूल्य प्रणाली में भारी बदलाव देखे गए हैं।

भौतिकवाद ने पुराने लोकाचार को दबा दिया है और व्यक्तिगत लाभ की खोज इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग अदालती कार्यवाही में झूठ, गलत निरूपण और तथ्यों के दमन की शरण लेने में संकोच नहीं करते हैं।

2. पिछले 40 वर्षों में वादियों का एक नया पंथ सामने आया है। जो लोग इस पंथ से संबंधित हैं, उनमें सच्चाई के लिए कोई सम्मान नहीं है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेशर्मी से झूठ और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। वादियों के इस नए पंथ द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए, अदालतों ने समय-समय पर नए नियम विकसित किए हैं और अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि एक वादी, जो न्याय की धारा को प्रदूषित करने का प्रयास करता है या जो न्याय के शुद्ध स्रोत को दूषित हाथों से छूता है, वह किसी भी अंतरिम या अंतिम राहत का हकदार नहीं है।

16. एक अन्य मामले में, अर्थात् साइमेड ओवरसीज इंक बनाम बीओसी इंडिया लिमिटेड एवं अन्य जो (2016) 3 एससीसी 70 में रिपोर्ट किया गया, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झूठे या भ्रामक हलफनामे दाखिल करने के लिए अनुकरणीय लागत लगाने के संबंध में टिप्पणी की, अदालत में झूठा या भ्रामक हलफनामा दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाना पूरी तरह से उचित है। उक्त निर्णय के कंडिका 2, 3, 28 और 29 को उद्धृत करना प्रासंगिक है:

"2. गलत हलफनामा दायर करने से संबंधित मामलों की वैश्विक खोज से संकेत मिलता है कि पिछले पंद्रह वर्षों में दर्ज किए गए ऐसे मामलों की संख्या में इससे पहले के मामलों की संख्या की तुलना में खतरनाक वृद्धि हुई

हैं। यह उस अस्वस्थता का उदाहरण है जो धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रही है। यह "प्रवृत्ति" निश्चित रूप से एक अस्वस्थ है जिसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि झूठे हलफनामे दाखिल करने को एक नियमित और सामान्य मामला माना जाए।

3. याचिकाकर्ता बी. ओ. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम झारखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 22-9-2008 के फैसले और आदेश से व्यथित है। बीओसी इंडिया लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य [बीओसी इंडिया लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य, 2008 एससीसी ऑनलाइन झार : (2009) 1 एआईआर झार आर 26] केवल लागत लगाने तक। हमारी राय में, इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

28. आर. करुप्पन, अधिवक्ता के विरुद्ध स्वतः संज्ञान कार्यवाही में, [आर. करुप्पन, अधिवक्ता के विरुद्ध स्वतः संज्ञान कार्यवाही, (2001) 5 एससीसी 289 : 2001 एससीसी (क्रि) 876] इस न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि पक्षों द्वारा दायर हलफनामों की पवित्रता को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाना चाहिए और साथ ही सटीकता का ध्यान रखे बिना गैर-जिम्मेदाराना बयान दाखिल करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 293, पैरा 13)

"13. अदालतों को समाज के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए अपराधियों के आपराधिक दायित्व का निर्धारण करने के अलावा पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों के वितरण और न्याय के निर्णय की शक्तियां सौंपी गई हैं।

अदालतों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे किसी भी बाहरी विचार से पक्षपाती नहीं होकर जल्दी और निष्पक्ष रूप से न्याय करें। न्याय वितरण प्रणाली बर्बाद हो जाएगी यदि वादियों पर वैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं, जो विशेष रूप से ऐसे मामलों में झूठे साक्ष्य दाखिल करके और उन पर भरोसा करके अदालत को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जिनका निर्णय तथ्यों के बयान पर निर्भर करता है। यदि कार्यवाही के परिणाम का सम्मान करना है, तो अदालतों के समक्ष इन मुद्दों को सच्चाई के अनुसार यथासंभव हल किया जाना चाहिए। अदालत की कार्यवाही की शुद्धता को किसी पक्ष द्वारा तुच्छ, परेशान करने वाले या अपर्याप्त आधारों पर या बाहरी विचारों या अपने प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने या परेशान करने की बदला लेने की इच्छा से प्रेरित झूठे साक्ष्य पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सटीकता की परवाह किए बिना गैरजिम्मेदाराना बयानों को दाखिल करने को हतोत्साहित करते हुए शपथपत्रों की पवित्रता को संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए।”

29. इसी तरह, मुथु करुप्पन बनाम परिथी इलामवाझुथी [मुथु करुप्पन बनाम परिथी इलामवाझुथी, (2011) 5 एस. सी. सी. 496 : (2011) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 709] में इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि गलत हलफनामा दाखिल करने पर प्रभावी रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह सच है कि यह अवलोकन अदालती कार्यवाही की अवमानना के संदर्भ में किया गया था, लेकिन न्यायिक कार्यवाही की शुद्धता

को बनाए रखने के लिए व्यक्त किए गए विचार का आम तौर पर समर्थन किया जाना चाहिए। ऐसा कहा गया था : (एस. सी. सी. पी. 501, पैरा 15)

“15. झूठा हलफनामा दायर करके गलत सबूत देना एक बुराई है जिस पर प्रभावी रूप से एक मजबूत हाथ से अंकुश लगाया जाना चाहिए। अभियोजन का आदेश तब दिया जाना चाहिए जब अपराधी को दंडित करने के लिए न्याय के हित में उचित माना जाए, लेकिन सार के मामले में 'जानबूझकर झूठ' का प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए और अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोप के लिए एक उचित आधार है।”

17. उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक अपील (ए.न्या) सं. 2445/2022 में अभिसाक्षी श्री राजीव कुमार ने, अपने बहनोई (साला), अपीलकर्ता मेंदर सिंह उर्फ विजय सिंह के सभी आपराधिक इतिहास की जानकारी होने के बावजूद, इस तथ्य को जानबूझकर इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया, जो अभिसाक्षी द्वारा अपने बहनोई के लिए इस न्यायालय से किसी भी तरह से जमानत प्राप्त करने के लिए तथ्यों को दबाने का मामला प्रतीत होता है, जो न्यायालय के साथ धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है।

18. इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि सब कुछ अपीलकर्ता के लाभ के लिए किया जा रहा था, इसलिए अपीलकर्ता इस न्यायालय से अपने आपराधिक पूर्ववृत्त को छिपाने के दायित्व से बच नहीं सकता, जो कि न्यायालय के साथ धोखाधड़ी के अलावा और कुछ नहीं है।

19. उपरोक्त चर्चाओं से मेरा विचार है कि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए अन्यथा कोई भी अभियुक्त की आपराधिक पूर्ववृत्त जैसे भौतिक तथ्यों को छिपाकर न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास कर सकता है और इस न्यायालय ने पाया कि ये प्रयास अब नियमित रूप से किए जा रहे हैं और न्यायालय को ऐसी कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है जिनमें आपराधिक पूर्ववृत्त को छिपाया गया है।

20. चूँकि इस न्यायालय ने अभिसाक्षी द्वारा अपीलकर्ता के आपराधिक इतिहास को छिपाने का स्पष्ट मामला पाया है, जो अपीलकर्ता के लाभ के लिए किया जा रहा था, इसलिए अभिसाक्षी, अर्थात् राजीव कुमार और अपीलकर्ता मेंदर सिंह उर्फ विजय सिंह पर झूठा हलफनामा देने और तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करने के लिए रु.1,00,000/- (एक लाख) रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अभिसाक्षी द्वारा उपरोक्त जुर्माना इस आदेश के अपलोड होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कोष में जमा किया जाएगा। यदि भुगतान नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि अभिसाक्षी और अपीलकर्ता के विरुद्ध विधि के अनुसार उचित कार्रवाई करके जुर्माना वसूल किया जाए।

21. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, यह अपील वापस लेते हुए खारिज की जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

वि.के.पांडे-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।